


Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties, Pleaders or necessary
	<p>पुनश्चः</p> <p>उभयपक्ष पूर्ववत्।</p> <p>साक्षी / फरियादी अनिलसिंह उप०।</p> <p>फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेजों के साथ 10/12/2018 को फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री वै०पी० राठौर एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप० हैं।</p> <p>उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया।</p> <p>अभियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के अपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 379 भा०द०वि० के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में जप्त शुदा मोटरसाइकिल पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो।</p> <p>प्रकरण नियत आगामी पेशी निरस्त की जाती है।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखगार में प्रेषित हो।</p>	

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)